



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

संख्या : 235 / उ0आ0वि0 / 2022

दिनांक : 05.05.2022

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातकोत्तर हेतु ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0– 2021 की मेरिट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए एम0डी0/एम0एस0 (आयु0) पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीयत काउंसिलिंग (Centarized Counselling) कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय, मॉप–अप चरण एवं स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त सीटों को स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:-

स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण की यू0ए0यू0सी0 पी0जी0– 2021–22 काउंसिलिंग हेतु समय सारणी:-

<u>Special Stray Vacancy Round of PG Counseling</u>	
Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	05.05.2022 to 08.05.2022
Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University (09:00 AM to 11:00 AM) and allotment of Seats by Counselling Board	09.05.2022
Last date of joining the allotted college	09.05.2022 to 10.05.2022

1– आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस0(आयु0)) की स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/शर्त:-

स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी

- ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0– 2021 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहें हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण एवं स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण एवं स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/ मॉप–अप चरण एवं स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण एवं स्ट्रे वेकेंसी चरण की काउंसिलिंग में किसी भी संस्थान में प्रवेश लिया हो ऐसे अभ्यर्थी इस काउंसिलिंग हेतु पात्र नही है।
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को **अनअर्ह (ineligible)** घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉप–अप चरण में सम्मिलित नही हो सकते है।

2- आन-लाईन स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्क:-

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु **₹0 2000/-**(दो हजार **₹0 मात्र**) **नान रिफनडेवल पजीकरण शुल्क** के रूप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे स्ट्रे वेकेंसी चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह **नहीं** माने जायेंगे।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में **₹0 25000/-**(**पच्चीस हजार ₹0 मात्र**) ऑन-लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में **₹0 25000/-**(**पच्चीस हजार ₹0 मात्र**) की ऑन-लाईन व्यवस्था करें।

3- स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:-

- अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैनुअल होगी जिसमें अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसको अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेख (information brochure point no 8.4.11) एवं छायाप्रति (Photo copy), 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य होगा।
- स्पेशल स्ट्रे चरण काउंसिलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची (Combined Merit List) जारी की जायेगी। निजी सम्बद्ध संस्थानों की अधिकांश सीटें भरी जाने हेतु Special Stray Vacancy Round काउंसिलिंग की सीटों की प्रवृत्ति Open for all की होगी। जिसमें राज्य एवं अखिल भारतीय कोटे के ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी-2021 अर्ह अभ्यर्थियों के सामूहिक सूची (Combined Merit List) बनाते हुये मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जायेगी।

काउंसिलिंग स्थल:- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हर्वाला, देहरादून।

4- अन्य सामान्य नियम/शर्तें

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCPG- 2021-22 information brochure का अध्ययन भली-भांति कर लें।
- काउंसिलिंग की प्रक्रिया, समय-सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स, एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की जा रही है एवं भविष्य में भी काउंसिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

काउंसिलिंग बोर्ड-2021